100

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2094] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2015/आश्विन 6, 1937
No. 2094] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2015/ASVINA 6, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2015

का.आ. 2645(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क स्कन्ध) की अधिसूचना संख्या का.आ. 78 (अ), तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के 75.000 कि.मी. से 395.870 कि.मी. (विजयवाड़ा से विषाखापत्तनम सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा था;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, समय-समय पर यथासंशोधित के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा निम्नलिखित चार या अधिक के लेन वाले खण्डों के उपयोग के लिए, यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत करने एवं संग्रहीत करने हेतु प्राधिकरण को प्राधिकृत किया था:

खण्ड	धारा	का.आ. संख्या	टोलयोग लम्बाई कि.मी. में
रारा–5 पर 830.525 कि.मी. से 914.883 कि.मी. तक (पुराना चैनेज 272.000 कि.मी से 187.600 कि.मी. तक)	आन्ध्र प्रदेश राज्य में तूनी–बोम्मूरू	का. आ. 1712 (अ) तारीख 26.07.2012	84.400
रारा–5 पर 914.883 कि.मी. से 1022.494 कि.मी. तक (पुराना चैनेज 187.600 कि.मी से 81.600 कि.मी. तक)	आन्ध्र प्रदेश राज्य में बोम्मूरू–गुंडुगोलानू	का. आ. 2673 (अ) तारीख 02.11.2012	107.611

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, 14.05.2012 को मैसर्स आइवीआरसीएल गुंडुगोलानू राजामुंदरी टोलवेज लिमिटेड (रियायतग्राही) के साथ करार किया है और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 1712 (अ) तारीख 26.07.2012 एवं का.आ. सं. 2673 (अ) तारीख 02.11.2012 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गई हं अथवा करने से लोप करा दी गई हैं, केन्द्रीय सरकार में अधिसूचना संख्या का.आ. 193(अ), तारीख 18.01.2013 द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (नया रारा–16) के 1022.494 कि.मी.

(पुराना चैनेज 81.600 कि.मी. से 901.753 कि.मी.) (पुराना चैनेज 200.00 कि.मी.) तक गुंडुगोलानू–राजामुंदरी सेक्शन का 6 लेन के विभाजित सड़क मार्ग में विकास करने तथा उक्त सेक्शन के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु रियायतग्राही को प्राधिकृत किया था:

और यतः प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक प्रणाली की तारीख घोषित नहीं की गई थी तथा 6 लेन का बनाने हेतु बीओटी रियायतग्राही करार 13.11.2013 को समाप्त कर दिया गया है और इसलिए, अधिसूचना सं. का.आ. 193(अ), तारीख 18.01.2013 कार्यान्वित नहीं की गई थी:

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित अनुसार और अधिसूचना संख्या का.आ. 2673(अ) तारीख 02.11.2012 तथा का.आ. 193(अ), तारीख 18.01.2013 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गई हैं। या करने से लोप करा दी गई हैं, शुल्क अधिसूचना संख्या का.आ. 1712(अ) तारीख 26.07.2012 में एतद्द्वारा निम्नलिखित आंषिक आषोधन करती है:

टोल प्लाजा का अवस्थान चैनेज	ब्यौरा	अधिसूचना संख्या का.आ. 1712(अ) तारीख 26.07.2012 में यथा– उल्लिखित	का.आ. 1712 (अ) तारीख 26.07.2012 में आशोधन
रारा–5 के जिला ईस्ट गोदावरी में कृष्णवरम गांव के पास 236.200 कि.मी. (नया अवस्थान 865. 553 कि.मी. पर	प्रभावित लम्बाई	रारा–5 पर 830.525 कि.मी. से 914.883 कि.मी. तक (पुराना चैनेज 272.000 कि.मी से 187.600 कि.मी. तक)	रारा–5 पर 830.525 कि.मी. से 901. 753 कि.मी. (पुराना चैनेज 272.000 कि.मी से 200.000 कि.मी.)
	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	84.400 कि.मी.	71.270
	परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत (करोड़ रु0 में)	431.00	344.12 31.03.2015 के अनुसार राजस्व में छूट 145.85 करोड़ रुपए है

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिसे सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित किया था और जिसमें सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014 और सा.का.नि. 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य में रारा सं0–5 (नया रारा–16) के 901.753 कि.मी. (पुराना चैनेज 200.00 कि.मी.) से 1022.494 कि.मी. (पुराना चैनेज 81.600) (गुंडुगोलानू राजामुंदरी सेक्शन) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) तक 4 या अधिक लेन के खण्ड के उपयोग के लिए वाणिज्यिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) 120.741 कि.मी. के लिए, जिसमें सड़क की कुल निवल लम्बाई 116.576 कि.मी. और 4.165 कि.मी. संरचना (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है), जिसकी समकक्ष लम्बाई 41.65 कि.मी. है के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:

सारणी 1

वाहन की श्रेणी	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे प्रत्येक टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, ऊपर सारणी–1 में यथाउल्लिखित आधार दरों पर शोध्य और संदेय होगा।

क्रम संख्या	टोल प्लाजाओं का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1	ईस्ट गोदावरी जिले में ईथाकोटा गांव के पास रारा–16 का 946.300 कि.मी. (पुराना चैनेज 156.183 कि.मी.)	56.638 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2	वेस्ट गोदावरी जिले में उनगुटूरू गांव के पास रारा–16 का 999.600 कि.मी. (पुराना चैनेज 104.386 कि.मी.)	59.938 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वाली संरचनाओं* की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई कि.मी. में	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1	ईस्ट गोदावरी जिले में ईथाकोटा गांव के पास रारा–16 का 946.300 कि.मी. (पुराना चैनेज 156.183 कि.मी.)	3.732*	37.320	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2	वेस्ट गोदावरी जिले में उनगुटूरू गांव के पास रारा–16 का 999.600 कि.मी. (पुराना चैनेज 104.386 कि.मी.)	0.433**	4.330	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

*60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

क्रम संख्या	चैनेज कि.मी. में		लम्बाई (मीटर)
	कि.मी. से	कि.मी. तक	
1	936.994	937.369	375
2	937.369	939.711	2342
3	949.602	950.542	940
4	950.432	950.507	75
		कुल	**3732**

**60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

क्रम संख्या	चैनेज कि.मी. में		लम्बाई (मीटर)
	कि.मी. से	कि.मी. तक	
1	975.620	975.728	107
2	982.269	982.425	156
3	982.844	982.929	85
4	995.449	995.533	85
		कुल	433

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2015–16 के लिए मासिक पास की दर 230.00/– रूपए (दो सौ तीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थातः

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	संदाय की समय से एक मास

5. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने अथवा टोल प्लाजा पार करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए। ऐसे अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन के चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश कराने के लिए, नियमों के अधीन, टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों पर लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट–प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. यांत्रिक वाहनों से वसूल की जाने वाली प्रयोक्ता शुल्क की वास्तविक राशि में वृद्धि ठीक पहले के वर्ष में लागू शुल्क से किसी भी हालत में 25% से अधिक नहीं होगी।

10. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार पर आधारित, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना खण्डों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और तदनुसार, उसे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. परियोजना की पूंजीगत लागत 716.71 करोड़ रुपए है, 31.03.2015 तक संग्रहीत छूट–राजस्व 199.01 करोड़ रुपए हैं। 31.03.2015 तक वसूल की जाने वाली पूंजीगत लागत 517.70 करोड़ रुपए हैं। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात् लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा / 13013 / सीओ / 111 / 15–16 / जीसी–राजामुंदरी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2015

S.O. 2645(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 78(E), dated the 4th February, 1999, issued under section 11 of the National Highway Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from Km 75.000 to Km 395.870 (Vijayawada to Vishakhapatnam section) of National Highway No. 5 in the State of Andhra Pradesh, to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with the Rule (3) of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time, the Central Government by following notifications of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for use of following four or more laned sections:

Stretch	Section	S.O. No.	Tollable length (in km)
km 830.525-km 914.883 (old chainage km 272.000-km 187.600) on NH-5	Tuni-Bommuru in the state of Andhra Pradesh	S.O. 1712 (E) dated 26.07.2012	84.400
Km 914.883 – km 1022.494 (old chainage km 187.600-km 81.600) on NH-5	Bommuru-Gundugolanu in the state of Andhra Pradesh	S.O. 2673 (E) dated 02.11.2012	107.611

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority entered into an agreement with M/s IVRCL Gundugolanu Rajahmundry Tollways Ltd. (the Concessionaire) on 14.05.2012 and in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and in supersession of the notification number S.O. No. 1712(E) dated 26.07.2012 and S.O. No. 2673(E) dated 02.11.2012 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, vide notification no. S.O. 193(E) dated 18.01.2013, authorized the Concessionaire for development of Gundugolanu-Rajahmundry section from km 1022.494 (old chainage km 81.600) to km 901.753 (old chainage km 200.00) on National Highway No. 5 (new NH-16) in the state of Andhra Pradesh to 6-lane divided carriageway and operation and maintenance of the section;

And whereas, the Commercial Operation Date was not declared and 6-laning BOT Concession Agreement has been terminated on 13.11.2013 by the Authority and therefore, the notification no. S.O. 193(E) dated 18.01.2013 was not implemented;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008, the Central Government, hereby, makes the following partial modification in the fee notification number S.O. 1712(E) dated 26.07.2012 as mentioned below & in supersession of notification no. S.O. 2673(E) dated 02.11.2012 & S.O. 193(E) dated 18.01.2013 except as respect things done or omitted to be done before such supersession:

Location of Toll Plaza (chainage)	**Particulars**	**As mentioned in notification no. S.O. 1712(E) dated 26.07.2012**	**Modifications in S.O. 1712(E) dated 26.07.2012**
km 236.200 (new location at km 865.553) near village Krishnavaram in District East Godavari of NH-5	Influence length	km 830.525-km 914.883 (old chainage km 272.000-km 187.600) on NH-5	Km 830.525-km 901.753 (old chainage km 272.000-km 200.000) on NH-5
	Length (in km) for which Fee is payable	84.400 km	71.270
	Estimated capital cost of the project (Rs. in Cr.)	431.00	344.12 The discounted revenue as on 31.03.2015 is Rs. 145.85 crore.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R. 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R. 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R. 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R. 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R. 831(E) dated 21st November, 2014 & G.S.R. 220 (E) dated 23rd March, 2015 (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government, hereby, notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of four or more lane section from km 901.753 (old chainage km 200.00) to km 1022.494 (old chainage km 81.600) (Gundugolanu Rajahmundry Section) of National Highway No. 5 (new NH-16) in the State of Andhra Pradesh(hereinafter referred to as the "said section"), at the base rates specified in column (2)

of the Table 1 (hereinafter referred to as "base rate"), for 120.741 km which includes total net road length of 116.576 km and total 4.165 km of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 41.65 km, on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for each such Toll Plaza at the base rates as mentioned in table-1 above:

S. No.	Location of Toll Plazas (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
1	km 946.300 (old chainage km 156.183) of NH-16, near village Eethakota in District East Godavari	56.638 (Excluding length of structures >60m)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
2	km 999.600 (old chainage km 104.386) of NH-16, near village Unguturu in District West Godavari	59.938 (Excluding length of structures >60m)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

S. No.	Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
1	km 946.300 (old chainage km 156.183) of NH-16, near village Eethakota in District East Godavari	3.732*	37.320	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
2	km 999.600 (old chainage km 104.386) of NH-16, near village Unguturu in District West Godavari	0.433**	4.330	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

*The details of structure having length > 60m is as under:-

S. No.	Chainage		Length (m)
	From Km	To Km	
1	936.994	937.369	375
2	937.369	939.711	2342
3	949.602	950.542	940
4	950.432	950.507	75
		Total	**3732**

** The details of structure having length > 60m is as under:-

S. No.	Chainage		Length (m)
	From Km	To Km	
1	975.620	975.728	107
2	982.269	982.425	156
3	982.844	982.929	85
4	995.449	995.533	85
		Total	**433**

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 230.00 (Rupees Two Hundred Thirty only) for the year 2015-16, and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall not be permitted to use the National Highway or crossing the Toll Plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Toll Collecting agency, equal to 10 times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the rules.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.

9. The increase in the actual amount of user fee to be charged from the mechanical vehicles shall in no case be more than 25% of the fee applicable in the immediately preceding year.

10. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the sections and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at

least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The capital cost of the Project is Rs. 716.71 Crore, discounted revenue collected till 31.03.2015 is Rs. 199.01 Cr. The capital cost yet to be recovered is Rs. 517.70 Cr. as on 31.03.2015. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/111/15-16/GC-Rajahmundry]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.